

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(25)नवि/3/2000

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

संशोधित अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.11.2010 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित अकलेरा मास्टर प्लान-2026 की समयावधि दिनांक 31.12.2026 को समाप्त हो रही है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2027 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.08.2000 द्वारा अधिसूचित "अकलेरा नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

उक्त अधिसूचना विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.08.2026 के अतिक्रमण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, झालावाड़।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, अकलेरा-झालावाड़।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2026.08.14 18:20:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24050305

M e-Sign

